न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./135/2022

1. शांति देवी पुत्री श्री कृष्ण जाट जाति जाट निवासी कैरोंट तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर
2. खेमचन्द पुत्र श्री सुवा भांबी
3. भैरू पुत्र काना रेगर **(विलोपित)**
4. गोपाल पुत्र रामकरण जाट
5. धन्ना पुत्र रामप्यार भांबी
6. सांवरलाल पुत्र सुवा भांबी
7. सत्यप्रकाश पुत्र सुवा भांबी
8. प्रहलाद पुत्र सुवा भांबी
9. गंगा पत्नि सुवालाल भांबी निवासीगण कैरोंट तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थीया– महावीर गुर्जर
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 11.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा कैरोंट पटवार क्षेत्र कैरोंट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 697 में दर्ज ख0न. 933 रकबा 0.73 हैं0, 939 रकबा 0.08 हैं0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.81 हैं0** जो कि प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहती हैं। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 9 प्रार्थीया की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 01 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीया को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 09 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर उनके के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थीया की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थीया और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थीया और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम कैरोंट का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीया की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

अध्यक्ष 11/2/23
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner

वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा कैरोंट पटवार क्षेत्र कैरोंट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 697 में दर्ज ख0न. 933 रकबा 0.73 हैं0, 939 रकबा 0.08 हैं0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.81 हैं0** प्रार्थीया की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक नान्दसी को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 **को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।**

(युवराज सिंह)
अध्यक्ष 11/2/23
अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
रा0 लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला–अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner